

## सुरोगेसी वधियक (नयिमन), 2016 में आधकिरकि संशोधन

### चरुचल में कयों?

प्रधलनमंतुरी नरेंदुर मोदी की अधयकषतल में केंदुरीय मंतरमिडल ने सुरोगेसी (नयिमन) वधियक, 2016 में आधकिरकि संशोधन हेतु सुवीकृतल दी है। सुरोगेसी (नयिमन) वधियक, 2016 में भरत में राष्ट्रीय सुतर पर राष्ट्रीय सुरोगेसी बुरुड, रलजुयों और केंदुरशलसतल प्रदेशों में रलजुय सुरोगेसी बुरुड तथल उचतल प्रलधकिरण सुथलपतल करके सुरोगेसी को नयिमों के दलयेरे में ललने कल प्रसुतलव कयल गल है।

### प्रमुख बलदु

- प्रसुतलवतल वधियक में सुरोगेसी कल कलरगर नयिमन, वलणजुयकल सुरोगेसी नषलध तथल प्रजनन कषमतल से वंचतल भरतीय दंपतयुीं को पुरोपकलरी सुरोगेसी की अनुमतल सुनशुचतल की गई है।
- इस वधियक के संसद दवलरल पलरतल होने के बलद राष्ट्रीय सुरोगेसी बुरुड कल गठन कयल जलएगल। केंदुर सरकलर दवलरल अधसुीचनल जलरी कयल जलने के तीन महीने के भीतर रलजुय और केंदुरशलसतल प्रदेश रलजुय सुरोगेसी बुरुड और रलजुय कल उचतल प्रलधकिरण गठतल करेंगे।

### इसकल प्रभलव कयल हुगल?

- इन संशोधनों के प्रभलवी होने पर यह अधनयिम देश में सुरोगेसी (करलए की कुख) सेवलओं कल नयिमन करेगल, सुरोगेसी में अनैतकल वयवहरों को नयुंतरतल करेगल, करलए की कुख कल वलणजुयकलकरण रुकेगल और सुरोगेसी से मलं बनने वलली महलललओं एवं सुरोगेसी से पैदल होने वलले बचुुओं कल संभलवतल शुषण रुकेगल।
- वलणजुयकल सुरोगेसी नषलध में मलनव भुरुण तथल युगमक की खरीद और बकलरी जैसे पकषों को शुलमल कयल गल है।
- इसके अतरकलत प्रजनन कषमतल से वंचतल दंपतल की आवशुयकतल को पूरल करने के लयल नशुचतल शरतुं को पूरल करने पर तथल वशुष उददेशुयुं के लयल नैतकल सुरोगेसी की भी अनुमतल दी जलएगी।
- इससे नैतकल सुरोगेसी सुवधल के इचुुकु प्रजनन कषमतल से वंचतल ववलहतल दंपतयुीं को ललभ हुगल।
- इसके अतरकलत सुरोगेसी से मलतल बनने वलली महलललओं और सुरोगेसी से जनुम लेने वलले बचुुओं के अधकलरुं की भी रकषल की जलएगी।
- यह वधियक जममु और कशुमीर रलजुय को कुडुकर पूरे भरत में ललगु हुगल।

### पृषुठभुूमल

- वभलनन देशुं से दंपतल भरत आते हैं और भरत सुरोगेसी केंदुर के रूड में उभरल है। लेकनल अनैतकल वयवहरुं, सुरोगेसी प्रकरुयल से मलतल बनने वलली महलललओं कल शुषण, सुरोगेसी प्रकरुयल से जनुम लेने वलले बचुुओं कल परतुयलग और मलनव भुरुण तथल युगमक लेने में बकुुलललुीं की धुखलधुडुी की घटनाँ चतलजनक हैं।
- भरत के वधलआयुग की 228वीं रलपुुीरुत में वलणजुयकल सुरोगेसी के नषलध और उचतल वधलयी कलरुय दवलरल नैतकल पुरोपकलरी सुरोगेसी की अनुमतल की सफलरशल की गई है।
- सुरोगेसी (नयिमन) वधियक 21 नवंबर, 2016 को लुकसभल में पेश कयल गल, जसुं 12 जनवरी, 2017 को सुवलसुथुय एवं परवलर कलुयलण मंतरललय दवलरल संसद की सुथलयी सतलतल कु भेजल गल।
- संसद की सुथलयी सतलतल दवलरल हतलधलरकुं, केंदुर सरकलर के मंतरललय/वभलगुं, सुवयंसुवी संगठनों, चकलतलसल कषुेत्र के पेशुवर लुगुं, वकीलुं, शुधकरुतुतलओं, प्रवरुतक अभभलवकुं तथल सुरोगेसी से मलतल बनने वलली महलललओं के सलथ वचलर-वमलरुश कयल गल और उनके सुझलव प्रलपुत कयल गल।
- सुवलसुथुय एवं परवलर कलुयलण मंतरललय से संबंधतल संसद की सुथलयी सतलतल की 102वीं रलपुुीरुत रलजुयसभल और लुकसभल में एक सलथ 10 अगसुत, 2017 को पटल पर रखुी गई।

### सुरोगेसी कयल है?

- सुरोगेसी एक महललल और एक दंपतल के बीच कल एक सतलझुुतल है, जो अपनी सुवयं की संतलन चलहतल है।
- सलमलनुय शबुदुं में सुरोगेसी कल अरुथ है कल शलशु कु जनुम तक एक महललल की 'करलए की कुख'। प्रलय: सुरोगेसी की मदद तब ली जलती है जब कसुी दंपतल कु बचुे कु जनुम देने में कठनलई आ रही हु।
- बलर-बलर गरुभपलत हु रलह हु यल फलरल बलर-बलर आईवीएफ तकनीक असफल हु रही हु। जो महललल कसुी और दंपतल के बचुे कु अपनी कुख से जनुम देने कु तैयलर हु जलती है उसे 'सुरुगेट मदर' कल जलतल है।
- भरत में सुरोगेसी कल खरुचल अनुय देशुं से कई गुनल कम है और सलथ ही भरत में ऐसी बहुत सी महलललुं उपलबुध हैं जो सुरुगेट मदर बनने कु आसलनी से

तैयार हो जाती हैं।

- गर्भवती होने से लेकर डिलीवरी तक महिलाओं की अच्छी तरह से देखभाल तो होती ही है, साथ ही उन्हें अच्छी-खासी धनराशि भी दी जाती है।
- सरोगेसी की सुवधा कुछ वशिष एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन एजेंसियों को आर्ट क्लीनिक कहा जाता है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के दशा-नरिदेशों पर अमल करती हैं।

## सरोगेसी बलि, 2016

- वर्ष 2002 से लागू सरोगेसी बलि के बाद सरोगेसी पर रोक लगाने का प्रावधान था, लेकिन यह प्रतर्बिध केवल वदिशी सरोगेसी पर लगाया गया था। पहले कुछ अस्पताल ऐसी महिलाओं के संपर्क में रहते थे, जो पैसे लेकर किसी और के बच्चे को जन्म देने के लिये तैयार होती हैं।
- इस व्यापारिक धंधे को नयित्रण में लाने के लिये केंद्र सरकार ने सरोगेसी का नया बलि पेश किया था, जिसके अनुसार सरोगेट मदर को पहले से ही शादीशुदा होना और एक बच्चे की माँ होना भी ज़रूरी था।
- सरोगेट मदर बच्चे को जन्म देने के बाद उसके संपर्क में रह सकती थी। साथ ही अववाहति दंपति, एकल माता-पति, लवि-इन पार्टनर और समलैंगिक लोगों को सरोगेसी सेवाएँ न देने का प्रस्ताव था।
- 2016 के बलि के अनुसार, दंपति के लिये खुद को प्रसव के लिये अक्षम साबति करना और भारतीय होना अनवार्य था। सरोगेट माँ को दंपति का करीबी रशितेदार होना भी ज़रूरी था।
- दंपति की शादी को कम-से-कम 5 साल पूरे हुए हों और पत्नी की उम्र 25 से 50 साल तथा पति की उम्र 26 से 65 तय की गई थी। स्वास्थ्य को प्राथमकता देते हुए सरोगेट मदर की उम्र 25 से 35 साल तय की गई थी।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cabinet-approves-moving-official-amendments-in-the-surrogacy-regulation-bill-2016>

